संख्या- 111/2025/1543/छप्पन-2025-56-1006/2/2019

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक : 19 दिसम्बर, 2025

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर A109S VT-UPL के लिए Vertical Gyro पार्ट नं0 46060-11 को स्टैण्डर्ड एक्सचेंज पर AOG के आधार पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 271/ना0उ0नि0/इंजी/(यू0पी0एल0)/16-आई/2025 दिनांक 25 नवम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा M/s Leonardo Malaysia Sdn. Bhd., Malaysia से राजकीय हेलीकाप्टर A109S VT-UPL के लिए Vertical Gyro पार्ट नं0 46060-11 को स्टैण्डर्ड एक्सचेंज पर AOG के आधार पर क्रय किये जाने पर होने वाले व्यय यू0एस0 डालर 66,015.60 जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 90/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से कुल रू0 59,41,404/- (रूपये उन्सठ लाख इकतालिस हजार चार सौ चार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रयादेश निर्गत किये जाने की स्वीकृति एवं Vertical Gyro पार्ट नं0 46060-11 प्राप्त इन्वाइस के अनुसार भुगतान की स्वीकृति एवं हेलीकाप्टर से निकाली गई अनसर्विसेबल Vertical Gyro पार्ट नं0 46060-11 को वापस फर्म को भेजे जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया राजकीय हेलीकाप्टर A109S VT-UPL के लिए Vertical Gyro पार्ट नं0 46060-11 को स्टैण्डर्ड एक्सचेंज पर AOG के आधार पर क्रय किये जाने पर होने वाले व्यय यू0एस0 डालर 66,015.60 जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 90/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से कुल रू0 59,41,404/- (रूपये उन्सठ लाख इकतालिस हजार चार सौ चार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रयादेश निर्गत किये जाने की स्वीकृति एवं Vertical Gyro पार्ट नं0 46060-11 प्राप्त इन्वाइस के अनुसार भुगतान की स्वीकृति एवं हेलीकाप्टर से निकाली गई अनसर्विसेबल Vertical Gyro पार्ट नं0 46060-11 को वापस फर्म को भेजे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशसनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या: 111/2025/1543/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in